कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर जिला–जशपुर नगर (छ.ग.)

ज्ञापन

क्र0 22 / दो–12–9 / 2006 जशपुर दिनांक 05.01.2023

प्रति,

जनसम्पर्क अधिकारी
जनसम्पर्क विभाग,
रायपुर, (छ0ग0)

विषय :– न्यायाधीशों के चेम्बर एवं न्यायालय कक्षों में ए.सी. स्थापित किए जाने हेतु ए.के. कय किए जाने के संबंध में।

संदर्भ :– मान्नीय उच्च न्यायालय का आदेश पृष्ठां0क्र015254 / चार–4–20 / 2001 (AC All, Part-II) बिलासपुर दिनांक 14 दिसम्बर 2022

–00–

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि इस जिला स्थापना जशपुर के मुख्यालय एवं तालुका में न्यायाधीशों के चेम्बर एवं न्यायालय कक्षों (जहां ए.सी. स्थापित नहीं है) में ए.सी. संस्थापित कराया जाना है। चूंकि वस्तु की कीमत 10.00 लाख रूपये से अधिक होने से भण्डार क्रय नियम–4 के उपनियम 4.3.3(3) के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में विज्ञापन देकर 25 दिनों की समयसीमा में निविदा बुलाया जाने हेतु निविदा सूचना एवं निविदा की संक्षिप्त सूचना आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

कृपया इसे प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

O/L

अध्यक्ष / अति0जिला न्यायाधीश,
क्रय समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, जशपुर
(छ0ग0)

कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर, जिला– जशपुर (छ0ग0)

–:: निविदा की संक्षिप्त सूचना ::–

निविदा विज्ञप्ति कमांक 01/दो–12–9/2006 जशपुर, दिनांक– 05 जनवरी 2023

जिला एवं सत्र न्यायालय, जशपुर के जिला मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालय (कुनकुरी/बगीचा एवं पत्थलगांव) के न्यायालय कक्षों एवं न्यायाधीश के विश्राम कक्षों में संस्थापन हेतु मेक–ब्लू स्टार/वोल्टास/डाईकिन/एल.जी./सैमसंग कम्पनियों के निर्माताओं/अधिकृत विकताओं/अधिकृत प्रतिनिधि से 2.0 टन क्षमता, 5 स्टार, कॉपर क्वाईलिंग, इंस्टालेशन सहित 20 नग एवं 1.5 टन क्षमता, 5 स्टार, कॉपर क्वाईलिंग , इंस्टालेशन सहित 6 नग ए.सी. कय किया जाना है।

उक्त संबंध में निविदा सूचना दिनांक–05/01/2023 को प्रकाशित की गई है एवं उक्त निविदा की सूचना एवं शर्त जिला न्यायालय, जशपुर के वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/Jashpur में अपलोड की गई है। उपरोक्त निविदा की शर्तों के अनुसार निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक– 30/01/2023 के समय शाम 04.00 बजे तक नियत की गई है।

स्थान–जशपुर

दिनांक– 05/01/2023

5.1.23

अध्यक्ष,
कय समिति,
कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जशपुर(छ0ग0)

कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर, जिला– जशपुर (छ०ग०)

–:: निविदा सूचना ::–

निविदा विज्ञप्ति कमांक 01 / दो–12–9 / 2006 जशपुर, दिनांक– 05 जनवरी 2023

जिला एवं सत्र न्यायालय, जशपुर के जिला मुख्यालय एवं अधिनस्थ न्यायालय कुनकुरी, बगीचा एवं पत्थलगांव के न्यायालय कक्षों एवं न्यायाधीश के विश्राम कक्षों में संस्थापन हेतु ए.सी. क्रय किया जाना है।

छ०ग० लोक निर्माण (विद्युत एवं यांत्रिकी) के लिए दिनांक– 01 / 06 / 2020 से प्रभावी (SOR) में ए.सी. वितरण एवं उनमें वर्तमान आवश्यकतानुसार संशोधन उपरांत निम्नलिखित तकनीकी विशिष्टयों की ए.सी. क्रय किया जाना प्रस्तावित है :–

S.No.	Description	Unit
01	Approved make 2.0 ton split type Air Conditioner 5 Star Unit with cooling unit (copper coil) and condensing unit (copper coil) including 5 years compressor warranty and standard length of upto 3 metre of copper piping ith insulation, etc complete as per specification. (Make-Blue Star/Valtas/Daikin/L.G./Samsung) and Instalation of aforesaid A.C. unit, cooling unit on wall inside and condensing unit on out side wall/celling/floor at desired locations with existing standard length of copper piping with insilation and good quality MS frame etc. Complete as per specification. (Extra length of copper piping shall be paid extra on per meter basis)	20 nose
02	Approved make 1.5 ton split type Air Conditioner 5 Star unit with cooling unit (copper coil) and condensing unit (copper coil) including 5 years compressor warranty and standard length of upto 3 metre of copper piping with insulation, itc complete as per specification (Make-Blue Star/Voltas/Daikin/L.G,/Samsung) and Instalation of aforesaid A.C. unit cooling unit on wall inside and condernsing unit on out side wall/celling/floor at desired location the existing standard length of copper piping/floor at desired location with existing standard length of copper piping with insilation and good quality MS frame etc. complete as per specifaction. (Extra length of copper piping shall be paid extra on per meter basis.	6 nose

(ए.सी. की संख्या आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय है।)

अतः ब्लू स्टार/वोल्टास/डाईकिन/एल.जी. सैमसंग कम्पनियों के निर्माताओं/ अधिकृत विक्रेताओं/अधिकृत प्रतिनिधि से उपरोक्त विशिष्टयों वाले एयर कंडीशन प्रदान किये जाने हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा की शर्ते एवं नियम निम्नानुसार है :–

01. निविदा में उपरोक्त क्रय किये जाने वाले प्रत्येक ए.सी. की कीमत एवं इंस्टालेशन की राशि जी.एस.टी. सहित कुल आवश्यक यूनिट की राशि के योग सहित प्रस्तावित किया जावे। परिवहन, पैकेजिंग या हैंडलिंग के मद में कोई अतिरिक्त देय नहीं होगा। इंस्टालेशन एवं उसमें लगने वाले लागत पर विचार हेतु निविदाकार फर्म यदि चाहे तो इंस्टालेशन वाले स्थान का अवलोकन कर सकता है और निविदा निम्न प्रोफार्मानुसार राशि उल्लेखित किया जाना आवश्यक है :–

क्र.	विवरण	राशि प्रति यूनिट	जी.एस.टी	योग
01	सम्पूर्ण ए.सी. यूनिट 2.0 टन			
02	सम्पूर्ण ए.सी. यूनिट 1.5 टन			
03	इंस्टालेशन चार्ज			
04	अतिरिक्त कापर पाईपिंग प्रतिमीटर की दर से			
			कुल योग :–	

क0	विवरण	आवश्यक संख्या	योग राशि रूपये में
01	ए.सी. यूनिट 2.0 टन, इंस्टालेशन चार्ज एवं अतिरिक्त पाईपिंग सहित एक सम्पूर्ण यूनिट का खर्च जी.एस.टी.सहित	20	
02	ए.सी.यूनिट 1.5 टन इंस्टालेशन चार्ज एवं अतिरिक्त पाईपिंग सहित एक सम्पूर्ण यूनिट का खर्च जी.एस.टी. सहित	06	
		कुल योग–	

02. निविदाकार फर्म को प्रदाय की जाने वाली सामग्री का वारंटी पीरियड में सम्पूर्ण देखभाल एवं मरम्मत किये जाने हेतु लिखित वचनबंध (Undertaking) निष्पादित किया जाना होगा। न्यूनतम दर पर अधिकतम अवधि के लिए वारंटी देने वाली कम्पनी/फर्म को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

03. निविदाकार फर्म का कार्यालय/सर्विस सेंटर, जिला जशपुर अथवा समीपवर्ती जिले में संचालित हो। (निविदाकार फर्म निविदा प्रपत्र में अपने कार्यालय का नाम, प्रोपराईटर का नाम, ईमेल आईडी एवं मोबाईल नंबर आवश्यक रूप से अंकित करेगें।)

04. केवल वास्तविक प्रदायकर्ता फर्म ही अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकेंगें। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य का एक (1%) प्रतिशत अमानत राशि (EMD) के रूप में छः हजार रूपये (6000/–रूपये) अदा किया जाना होगा। यह अमानत राशि (EMD) सफल निविदाकार को रोककर शेष को 15 दिवस में वापस लौटा दी जावेगी।

05. सफल निविदाकार को सुरक्षा निधि के रूप में अठ्ठारह हजार रूपये (18,000/–) क्रय आदेश जारी किये जाने के पूर्व अदा किया जाना होगा।

06. यह अमानत राशि/सुरक्षा निधि नगद जमा नहीं लिय जावेगा। यह राशि चालान के माध्यम से लेखा शीर्ष "8443" सिविल जमा राशियां अथवा " 103 प्रतिभूति जमा" में जमा कर चालान की मूल पावती प्रस्तुत किया जावेगा। अथवा भारतीय स्टेट बैंक या अनूसूचित बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी राशि जमा की जा सकेगी।

07. यह अमानत राशि/सुरक्षा निधि सामग्री प्रदाय किये जाने एवं उसके संस्थापन उपरांत कार्य संतोषप्रद पाये जाने के उपरांत वापसी योग्य होगी।

08. सफल निविदाकार फर्म को क्रय आदेश जारी किये जाने के उपरांत 07 कार्य दिवस के भीतर सामग्री प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा। इंस्टालेशन, परिवहन, पैकेजिंग या हेंडलिंग के मद में निविदात्मक दर के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगा।

09. निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट (एडी) अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी एंड डी विभाग से अधिकृत कोरियर के माध्यम से अथवा जिला न्यायालय जशपुर परिसर के मुख्य द्वार के

समीप रखे गये टेंडर बाक्स में व्यक्तिगत रूप से निर्धारित अंतिम तिथि के अंतिम समय तक डाला जा सकता है, जो यथाशीघ्र खोला जावेगा।

10. बंद लिफाफे/रजिस्टर्ड लिफाफे के उपर "ए.सी. हेतु निविदा प्रस्ताव" स्पष्ट रूप से लिखा जाना आवश्यक है।

11. जिला न्यायालय, जशपुर के वेबसाइट का पता https://districts.ecourts.gov.in/Jashpur में देखी जा सकेगी।

12. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा प्रपत्रों, ईमेल से प्रेषित निविदा अथवा खुले लिफाफे में प्रेषित निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी। निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि, दिनांक– 30/01/2023 को शाम 04.00 बजे तक है।

13. किसी भी निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी भी निविदा प्रस्ताव में किसी शर्त का उल्लंघन होने अथवा आदेश का पालन नहीं किये जाने पर या अन्य कोई अनियमितता पाये जाने पर उक्त निविदा प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का अंतिम अधिकार माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जशपुर को होगा।

(माननीय जिला न्यायाधीश, महोदय द्वारा अनुमोदित)

अध्यक्ष,
क्रय समिति,
कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जशपुर(छ0ग0)